न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 34/2019(2019/00046)

1. महावीर पुत्र लाला जाति कुमावत निवासी नयागांव (बघेरा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. गोविन्द पुत्र धन्ना जाति कुमावत निवासी नयागांव (बघेरा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. लक्ष्मण पुत्र बजरंग जाति कुमावत निवासी नयागांव (बघेरा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. हरचन्द पुत्र बजरंग जाति कुमावत निवासी नयागांव (बघेरा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. नारायण पुत्र बजरंग जाति कुमावत निवासी नयागांव (बघेरा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. राजरथान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

--अप्रार्थीगण

<u>राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

उपस्थितः-
प्रार्थी वकील :- श्री उम्मेद सिंह राठौड
पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 07.02.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात वाके **ग्राम नयागांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित आराजी** का विवरण निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः-

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
162-160	1650	0.24	गै.मु.चट्टान
163-161	1643	0.62	बारानी उत्तम

प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अप्रार्थीगण पड़ोसी काश्तकार है व आये दिन प्रार्थी की आराजी में अतिक्रमण, घुसपेट करते रहते है जिसके लिए प्रार्थी ने पूर्व में निशानदेही भी करवा ली, लेकिन फिर भी अप्रार्थीगण उक्त वर्णित प्रार्थी की आराजीयात में अतिक्रमण करने से बाज नही आये। दिनांक 06.02.2019 को प्रार्थी अपनी उक्त आराजी में हकाई-बुआई करने गया तो अप्रार्थीगण व उनके परिजन ने मौके पर पत्थरगढी के अभाव में सीमा के बाबत विवाद किया तथा लडाई झगडा करने लग गये जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित उपरोक्त आराजीयात का मौके पर नाप चौप करवाकर स्थाई पत्थरगढी करवाये जाने व बाद पत्थरगढी सीमा चिन्ह को नष्ट भ्रष्ट, तोड-फोड नही करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से पावर प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सम्मन तामिल उपस्थित नही हुए। अप्रार्थीगण को कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया गया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की आराजीयात पर पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा. अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम नयागांव तहसील केकड़ी की जमाबन्दी संवत 2072—75 के खाता संख्या नया पुराना 162—160 के खसरा नम्बर 1650 रकबा 0.24 हैक्ट, खाता संख्या नया पुराना 163—161 के खसरा नम्बर 1643 रकबा 0.62 हैक्ट. की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner